रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1975/श्रावण 2, 1897

No. 209] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1975/SRAVANA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 24th July 1975

G.S.R. 425(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies of rice and its availability within the State of Gujarat and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Gujarat and Dadra and Nagar Haveli Rice (Export) and Paddy (Movement Control) Order, 1975.

(2) It extends to the whole of the State of Gujarat and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) "border area" means the area within a five-mile belt inside the zone all along its border;

(b) "export" means to take or cause to be taken, by any means whatsoever, from any place within the zone to a place outside it;

(c) "rice" includes rice, paddy and products of rice or paddy other than husk and bran;

(d) "State Government" means the Government of the State of Gujarat or the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, as the case may be;

(e) "Zone" means the area comprising the State of Gujarat and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli to which this Order extends.

3. **Restrictions on export of rice.**—No person shall export or attempt to export or abet the export of rice except under and in accordance with a permit issued by—

(a) the Central Government or by an officer authorised by the Central Government in this behalf; or

(b) the State Government; or

(c) the Director of Civil Supplies, the Director of Food, or any other officer of the Government of Gujarat authorised by that Government in this behalf; or

(d) the Collector, the Purchase and Supply Officer, or any other officer of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli authorised by the Administrator in this behalf :

Provided that nothing contained herein shall apply to the export of rice—

(i) not exceeding five kilograms in weight in the aggregate by a bona fide traveller as part of his luggage; or

(ii) on Government account; or

(iii) under and in accordance with Military Credit Notes; or

(iv) by or under the authority of the Food Corporation of India established under the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964).

4. **Restrictions on the movement of paddy within the State of Gujarat.**—No person shall move or attempt to move, or abet the movement of paddy from one district to another district in the State of Gujarat whether by road, rail, water or air, except under and in accordance with a permit issued by the State Government of Gujarat or by the Director of Civil Supplies, the Director of Food or by any other officer of that Government authorised by it in this behalf :

Provided that nothing contained herein shall apply to the movement of paddy—

(i) not exceeding one kilogram in weight in the aggregate by a bona fide traveller as part of his luggage; or

(ii) on Government account; or

(iii) under and in accordance with the Military Credit Notes.

5. **Restrictions on movement of rice in border area.**—No person shall move or attempt to move or abet the movement of rice—

(a) to any place in the border area from any place outside that area in the Zone;

(b) from any place in the border area to any other place in that area:

except under and in accordance with a permit issued by—

(a) the State Government of Gujarat or the Director of Civil Supplies, the Director of Food, the Collector of the District or any other officer of that Government authorised by it in this behalf in so far as the border area of Gujarat State is concerned; or

(b) the Collector, the Purchase and Supply Officer or any other officer of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli authorised by the Administrator in this behalf in so far as the border area of the said Union territory is concerned.

6. **Exemption.**—Nothing in this Order shall apply to the export or movement of rice, being seeds, certified as such by or under the authority of the National Seeds Corporation Limited.

7. **Powers of entry, search, seizure, etc.**—(1) Any Police Officer not below the rank of Head Constable or any officer of the Civil Supplies Department not below the rank of Supply Inspector or any Revenue Officer not below the rank of Aval-Karkun and any other person authorised in this behalf by the State Government may, with a view to securing compliance with the order or to satisfying that this order has been complied with—

(a) stop and search or authorise any person to stop and search any person or any vessel, boat, motor or other vehicles or any receptacle used or intended to be used for the export of rice;

(b) enter and search or authorise any person to enter and search any place;

(c) seize or authorise the seizure of any rice in respect of which he has reason to believe that any provision of this order has been, is being or is about to be contravened, alongwith the packages, coverings or receptacles, in which such rice is found or the animals, vehicles, vessels, boats or conveyances used in carrying such rice for securing the production of the packages, coverings, receptacles, animals, vehicles, vessels, boats or conveyances so seized in a court and for their safe custody pending such production :

Provided that in exercising the powers of entry and search under this clause due regard shall be paid by such officers to the social and religious customs of occupants of the place, vehicle, vessel or boat, as the case may be.

(2) The provisions of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

8. **Repeal and saving.**—(1) The Gujarat Rice (Export Control) and Paddy (Movement Control) Order, 1966, issued by the Government of the State of Gujarat on the 29th June, 1966, is hereby repealed except as respects things done or omitted to be done before such repeal under the said Order.

(2) The Dadra and Nagar Haveli Foodgrains (Export Control) Order, 1967, issued by the Administrator of the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, is also hereby repealed in so far it relates to rice and paddy except as respects things done or omitted to be done before such repeal under the said Order.

[No. 4(GUJ-DNH)(1)/75-D&R(I)-24]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

सा०का०नि० 425 (अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि गुजरात राज्य तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में चावल के प्रदाय और उसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ।

अत : अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस आदेश का नाम गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली चावल (निर्यात) और धान (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण गुजरात राज्य तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में,—

(क) "सीमाक्षेत्र" से इलाके के अंदर उसकी सम्पूर्ण सीमा के साथ पांच मील की पट्टी के भीतर का क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ख) "निर्यात" से इलाके के भीतर किसी स्थान से उसके बाहर किसी स्थान को किन्हीं भी साधनों द्वारा ले जाना या लिवा ले जाना अभिप्रेत है;

(ग) "चावल" के अन्तर्गत चावल, धान, तथा भूसी और चोकर से भिन्न चावल या धान के उत्पाद अभिप्रेत हैं ;

(घ) "राज्य सरकार" से यथा स्थिति, गुजरात राज्य की सरकार, या दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ङ) "इलाका" से गुजरात राज्य तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में, जिन पर इस आदेश का विस्तार है, समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है ।

3. **चावल के निर्यात पर निर्बन्धन**.—कोई व्यक्ति निम्नलिखित द्वारा जारी किए गए परमिट के अधीन या उसके अनुसार के सिवाय चावल का निर्यात नहीं करेगा या निर्यात करने का प्रयत्न नहीं करेगा या निर्यात का दुष्प्रेरण नहीं करेगा:—

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी; अथवा

(ख) राज्य सरकार; अथवा

(ग) गुजरात सरकार का सिविल पूर्ति निदेशक, खाद्य निदेशक या कोई अन्य अधिकारी को उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है; अथवा

(घ) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का कलक्टर, क्रय और पूर्ति अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है;

परन्तु इसमें की कोई बात—

(1) किसी सद्भावी यात्री द्वारा, अपने सामान के भाग के रूप में भार में कुल मिलाकर पांच किलो ग्राम से अनधिक; अथवा

(2) सरकार की ओर से,

(3) सेना जमा-पत्रों के अधीन और उनके अनुसार; अथवा

(4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकार से या उसके अधीन; चावल के निर्यात को लागू नहीं होगी ।

4. **गुजरात राज्य के भीतर धान के संचलन पर निर्बन्धन**.—कोई व्यक्ति गुजरात राज्य में एक जिले से किसी दूसरे जिले को सड़क, रेल, जलमार्ग या वायुमार्ग द्वारा धान का संचलन ऐसे परमिट के अधीन या उसके अनुसार के सिवाय नहीं करेगा या करने का प्रयत्न नहीं करेगा या संचलन का दुष्प्रेरण नहीं करेगा, जो गुजरात राज्य सरकार द्वारा या सिविल पूर्ति निदेशक, खाद्य निदेशक द्वारा या उस सरकार के उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया है:

परन्तु इसमें की कोई बात—

(i) किसी सद्भावी व्यक्ति द्वारा, अपने सामान के भाग के रूप में भार में कुल मिलाकर एक किलोग्राम से अनधिक; अथवा

(ii) सरकार की ओर से; अथवा

(iii) सेना जमा-पत्रों के अधीन और उनके अनुसार;

धान के संचलन को लागू नहीं होगी ।

5. **सीमा क्षेत्र में चावल के संचलन पर निर्बन्धन** कोई व्यक्ति—

(क) इलाके में, सीमा क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस क्षेत्र में किसी स्थान को;

(ख) सीमा क्षेत्र में किसी स्थान से उस क्षेत्र में किसी अन्य स्थान को, चावल का संचलन ऐसे परमिट के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय नहीं करेगा या संचलन करने का प्रयत्न नहीं करेगा या संचलन का दुष्प्रेरण नहीं करेगा, जो—

(क) गुजरात राज्य सरकार या उस सरकार के सिविल पूर्ति निदेशक, खाद्य निदेशक, जिले के कलक्टर या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो जहां तक कि गुजरात राज्य के सीमा क्षेत्र का संबंध है, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है; अथवा

(ख) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के कलक्टर, क्रय और पूर्ति अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो जहां तक कि उक्त राज्यक्षेत्र के सीमा क्षेत्र का संबंध है, प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है ।

6. **छूट**:—इस आदेश की कोई बात उस चावल के, जो बीज के रूप में है और जिसे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के प्राधिकार से या उसके अधीन उस रूप में प्रमाणित किया गया है, निर्यात या संचलन को लागू नहीं होगी ।

7. **प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां**—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो मुख्य सिपाही की पंक्ति से नीचे का न हो, या सिविल पूर्ति विभाग का कोई अधिकारी, जो पूर्ति निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, या कोई राजस्व अधिकारी जो अवल कारकुन की पंक्ति से नीचे का न हो तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश का अनुपालन कराने या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस आदेश का अनुपालन हो गया है,—

(क) चावल के निर्यात के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित किसी व्यक्ति या किसी जलयान, नाव, मोटर या अन्य यानों या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या उसे रोकने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा,

(ग) किसी भी चावल का जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उन पैकेजों, आवरणों या पात्रों के साथ, जिन में ऐसा चावल पाया जाता है अथवा ऐसे चावल को वहन करने में प्रयुक्त पशुओं, यानों, जलयानों, नावों या प्रवहणों के साथ, अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा, और वह इस प्रकार अभिग्रहीत किए गए पैकेजों, आवरणों, पात्रों, पशुओं, जलयानों, नावों या प्रवहणों को न्यायालय में पेश करा सकेगा तथा ऐसी पेशी तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपाय कर सकेगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन प्रवेश और तलाशी की शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसे अधिकारियों द्वारा यथास्थिति, उस स्थान, या, जलयान या नाव के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की, तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, धारा 100 के उपबंध, जहां तक सम्भव हो, इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

8. **निरसन और व्यावृत्ति.**—(1) गुजरात राज्य सरकार द्वारा 29 जून, 1966 को जारी किया गया गुजरात चावल (निर्यात नियंत्रण) और धान (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1966, वहां तक के सिवाय निरसित किया जाता है, जहां तक कि उक्त आदेश के अधीन ऐसे निरसन से पूर्व की गई या नहीं की गई बातों का संबंध है।

(2) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा जारी किया गया दादरा और नागर हवेली खाद्यान्न (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1967 को भी, जहां तक कि चावल और धान से उसका संबंध है, वहां तक के सिवाय निरसित किया जाता है, जहां तक कि इस आदेश के अधीन ऐसे निरसन से पूर्व की गई या नहीं की गई बातों का संबंध है।

[सं० 4(गुज०-दा०ना०ह०)(1)/75-डी०एंड आर० (I) 24]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975